

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 15)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजाखेड़ा
 राजेन्द्र बनाम लालबहा
 किन्तु मुकदमा फर्दा नं. 172/22 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
-------------	----------------------------------	--

नहीं चाहता है। वादी का वाद रानी स्तर पर खारिज करने का निवेदन किया। हमने वादी के उपाधीवक्ता एवं वादी को बुना। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी ने प्रार्थना पत्र पेश कर स्वयं वाद पत्र को खारिज कराना चाहा गया है। अतः वादी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर वादी का वाद रानी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली केवल श्रुति होकर पारिवर्तन पत्र है।

उपखण्ड अधिकारी
 राजाखेड़ा (धौलपुर)